न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **49/2025** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2025/318

भेरू पिता जगा रावत निवासीः सुकड़िया, तहसील–कानोड़, उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. पटवार हल्का आकोला, तहसील–कानोड़, उदयपुर, राज.
2. तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कानोड़ प्रकरण संख्या 19/25
दिनांक 16.07.2025

उपस्थित : श्री काशीराम मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का अनुसार अतिक्रमी भेरू पिता जगा जाति रावत निवासी सुकडिया, तह. कानोड, जिला उदयपुर द्वारा राजस्व ग्राम सुकडिया, पं.मं. आकोला, तह कानोड, जिला उदयपुर के आराजी नं. 3542/1305 रकबा 0.65 हैक्टयर किस्म बिलानाम पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है, अतिक्रमी द्वारा प्रतिवर्ष 2081 में अतिचार किया गया था तथा कृषि वर्ष 2082 में पुनः अतिचार किया गया है। उक्त संबंध में अतिक्रमी को उचित समय दिया जाकर न्यायालय में सबूत/साक्ष्य पेश करने हेतु आदेशित किया गया किन्तु दौरान सुनवाई अतिक्रमी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया गया, अतिक्रमी द्वारा उक्त कृषि वर्ष 2081 में उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जिसमे न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 19/2024 में मौके से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित कर कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक राजस्व/1025/173 दिनांक 23.04.2025 से राजस्व टीम गठित की जाकर अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। किन्तु मौके पर स्थिति संवेदनशील तथा पुलिस जाब्ता एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध नही होने से न्यायालय ने पुनः आदेश क्रमांक राजस्व/2025/218 दिनांक 09.05.2025 से पुनः अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व टीम गठित की गई। राजस्व टीम द्वारा बाद कार्यवाही प्राप्त रिपोर्ट

जिला कलक्टर
उदयपुर

अनुसार मौके से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमी को पुनः भविष्य में किसी प्रकार से अतिक्रमण नही करने हेतु पाबंद किया गया। परन्तु ग्रामवासी निमडीफला सुकडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त अतिक्रमी द्वारा पुनः मौके पर अतिक्रमण कर लिया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 19/2025 दर्ज कर कार्यवाही प्रस्तुत की गई जिसमें तथ्य/जवाब/दस्तावेज रिपोर्ट तथा अतिक्रमी को सुना गया, अतिक्रमी द्वारा मौके पर अतिक्रमण के संबंध में यह कथन किये गये कि मैनें बाड लगाकर कर मवेशी हेतु बाडा बनाया हुआ है। जिसे मैं तीन दिवस में हटाकर किसी भी प्रकार का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही करूंगा परन्तु उक्त अतिक्रमी द्वारा आज दिनांक तक अतिक्रमण मौके से नहीं हटाया गया है। जिसका कथन अतिक्रमी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बताया गया, इत्यादि। जिस पर तहसीलदार कानोड द्वारा अतिक्रमी श्री भेरू पिता जगा जाति रावत, निवासी सुकडिया को आराजी नं. 3542/1305 रकबा 0. 6500 हैक्टेयर भूमि पर से द्वितीय बार किये गये अतिचार हेतु भूमि से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ भू राजस्व प्रतिवर्ष 0.65 लगानी से 50 गुणा शास्ती फलस्वरूप 100 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है एवं द्वितीय अतिक्रमण करने पर धारा 91 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमी को एक माह के लिए सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये जाने से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कभी भी आराजी सं. 3542/1305 रकबा 0.6500 हैक्टेयर से अतिक्रमी के रूप में कभी हटाया नही गया है बल्कि उक्त कृषि भूमि पर करीब 40 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि जो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी थी उसे अकृषि से कृषि भूमि लायक बना काबिज होकर खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है जिसका समय समय पर तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी पैनाल्टी अपीलार्थी जमा कराता चला आ रहा है। फिर भी तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया वह विधि विरूद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। न्यायहित में उक्त पत्रावली को जवाब व सबूत रिकार्ड पर लिया जाकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। दिनांक 16.07.2025 को अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष पेश हुआ जिसके ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर करवाये गये लेकिन उक्त ऑर्डरशीट पर कुछ लिखा नही होने से अपीलार्थी को तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित किया गया, उसकी जानकारी नही है। इसके अलावा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी उक्त निर्णय के बारे में अपीलार्थी को नही बताया, उसके बाद अपीलार्थी बिमार हो गया था इसलिए बाद में तहसील कानोड में उक्त निर्णय की जानकारी नही कर सका। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार कानोड द्वारा दिनांक 16.07.2025 को पारित निर्णय को अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्राप्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कानोड़ द्वारा राजस्व ग्राम सुकडिया स्थित आराजी नं. 3542/1305 रकबा 0.65 हैक्टेयर सरकारी बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण मानकर अपीलार्थी को पूर्व में हटाये गये अतिक्रमण के पश्चात पुनः भूमि पर अतिचार किया माना जाकर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली एवं 1 माह का सिविल कारावास के आदेश पारित किये गये है। अपीलार्थी द्वारा लगभग 40 वर्षों से उक्त उबड़–खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाकर काबिज है तथा समय–समय पर पेनाल्टी भी जमा कराता रहा है। अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं दी गई तथा बीमारी के कारण समय पर जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार कानोड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2025 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सुकडिया स्थित बिलानाम आराजी नं. 3542/1305 रकबा 15.1400 हैक्टेयर भूमि में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी भैरू पिता जग्गा द्वारा कृषि वर्ष 2081 में अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार कानोड़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 19/24 से अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमी को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा पुनः उसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिस कारण द्वितीय बार धारा 91 की कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रकरण संख्या 19/2025 में आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा लगभग 0.4500 हैक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल बोई गई थी तथा उसका मकान विवादित भूमि पर नहीं होकर खातेदारी भूमि पर स्थित है। अपीलार्थी के नाम स्वयं की खातेदारी भूमि भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अतः अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर पुनः अतिक्रमण करना जानबूझकर किया गया अवैध कृत्य है। तहसीलदार कानोड द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत, तथ्यपरक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है, अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, तहसीलदार कानोड द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम सुकडिया की बिलानाम आराजी नम्बर 3542/1305 रकबा 15.1400 हे. किस्म बीड द्वितीय भूमि मे से 0.6500 हे. भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2025 को प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को बिना

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, स्वीकार योग्य नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर दिया जाकर, सुनवाई उपरान्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के निवेदन पर अतिक्रमण हटाने हेतु समय भी दिया गया लेकिन अतिक्रमण नही हटाने से निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी कृषि वर्ष 2081 में अतिक्रमण किया गया था तथा पुनः कृषि वर्ष 2082 में भी अतिक्रमण किया गया है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के मामलों में सिविल कारावास के प्रावधान है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो उक्त भूमि पर उसका स्वामित्व सिद्ध करता हो। अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना सिद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.11.2025 को जारी स्थगन आदेश हटाया जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 19/2025 तहसीलदार कानोड़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर